(नियम 26)

त अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

श्यामा देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/2

मिसल नम्बर– 2/2025

1.शमशुद्दीन अंसारी आयु 79 वर्ष पुत्र स्व0 श्री अहमद जी

2.श्रीमति शमीम बेगम आयु 76 वर्ष पत्नि श्री शमशुद्दीन अंसारी निवासीगण म0नं0 100 अल्का प्रेस के पास श्रीपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.नजमुद्दीन अंसारी पुत्र शमशुद्दीन अंसारी

2.सेफुद्दीन अंसारी पुत्र नजमुद्दीन अंसारी

3.सलीम पुत्र अज्ञात

4.कलीम पुत्र अज्ञात

5.जावेद पुत्र अज्ञात निवासीगण फकीरो की मस्जिद के पास, फकीरों का मोहल्ला छावंनी कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 26/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री कृपा शंकर श्रृंगी अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री नईमुद्दीन अधिवक्ता अप्रार्थी नं0 1

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी शमशुद्दीन अंसारी एक 79 वर्षीय वृद्ध पुरूष व प्रार्थीया शमीम बानो 76 वर्षीय वृद्ध महिला सीनियर सिटीजन पति पत्नी है जो अल्का प्रेस के पास श्रीपुरा कोटा स्थित अपने स्व अर्जित सम्पत्ति से खरीद कर बनाये गये मकान में स्थायी रूप से निवास करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी संख्या 1 पूर्व में भारतीय डाकतार विभाग में कार्यरत था। प्रार्थी द्वारा उक्त मकान दिनांक 11.08.1980 को अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति जरिये रजिस्टर्ड बेनामा श्री श्रीकान्त राव आत्मज जसवन्त राव जाति ब्राहम्ण निवासी ठिकाना सारोला वार्ड श्रीपुरा कोटा–राज० से खरीद किया था तब से इस मकान पर काबिज चला आ रहा है। उक्त मकान खरीद करने के उपरांत पुराने कच्चे मकान को गिराकर इसके स्थान पर पक्का तीन मंजिला मकान बनाया जिसमें बीच की मंजिल फर्स्ट फलोर में, प्रार्थीगण निवास करते है, सैकिण्ड फलोर पर उनका छोटा पुत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सलाउद्दीन अपने परिवार सहित निवास करता है तथा नीचे की मंजिल पर ग्राउण्ड फलोर पर प्रतिपक्षी संख्या 1 मय अपने परिवार के निवास करता है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी संख्या 1 को उनका पुत्र होने के कारण उसके परिवार के सदस्यो, प्रतिपक्षी संख्या 2 पौत्र सैफुददीन अंसारी व उसकी दो पुत्रियों के निवास हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर दो कमरे, एक रसोई, एक लेट–बाथ दिये हुये थे। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 व उनके परिवारजन आये दिन उक्त मकान को प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम करने या उसको बेचकर उसकी राशि देने हेतु दबाव बनाते रहते थे जिससे उक्त मकान में उनका रहना दूभर हो गया था। दिनांक 01.05.2024 समय 9.30 –10.30 पीएम के लगभग की बात है शमीम बेगम प्रार्थीया संख्या 2 की तबियत खराब थी, इस वजह से साले अब्दुल रहमान निवासी पाटनपोल कोटा भी मिलने वाले घर आये हुये थे तभी प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2, सलीम, कलीम, जावेद व अन्य 4–5 व्यक्ति अचानक धडाधड जनमूद्दीन अंसारी व सैफुद्दीन अंसारी घर में घुस आये, प्रार्थीगण साले अब्दुल रहमान, छोटे बेटे सलाउद्दीन घर की औरतो के साथ लाठी डण्डो से मारपीट की । इसी बीच प्रार्थीगण के जंवाई जावेद भी वहां आ गये तो उनके साथ भी मारपीट की, महिलाओ के साथ बदसलूकी की घर के दरवाजे तोडकर घर में घुस गये बाद में मारपीट कर भाग गये इस घटना के तुरन्त बाद प्रतिपक्षी संख्या 1 ने नीचे के दो कमरो व रिहायशी भाग पर ताला लगा दिया जिसे खोल नहीं रहा है। प्रार्थी संख्या 1 ने तुरन्त इस घटना की थाना कैथूनीपोल कोटा में रिपोर्ट दर्ज करायी जहां उनके द्वारा इस घटना की रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2024 पर दर्ज की गई लेकिन थाना कैथूनीपोल कोटा से बार बार कहने पर भी उनके द्वारा प्रार्थी संख्या 1 को उसके मकान से प्रतिपक्षी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा नही दिलाया जा रहा है। प्रतिपक्षी संख्या 2 के परिजन गुण्डो का सहारा लेकर प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर उनको इस मकान से बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिपक्षी की ज्यादतियां बर्दाश्त के बाहर हो गई है इसलिये प्रतिपक्षीगण को इस मकान से बेदखल कर प्रार्थीगण को कब्जा दिलाया जाना आवश्यक हो गया है जब प्रार्थीगण ने पुलिस से इस भाग का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया तो उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने को कहा। प्रार्थी व उसकी पत्नी एक वरिष्ठ नागरिक है जो अपनी बाकी जिन्दगी शांतिपूर्वक तरीके से जीना चाहते है इसलिये प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध वरिष्ठ नागरिक अधि0 2007 के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 1 अल्का प्रेस के पास श्रीपुरा कोटा–राज0 की नीचे की ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो व रिहायशी भाग से बेदखल करने, साथ में भविष्य में शांति बनाये रखने के लिये तथा प्रार्थीगण को परेशान व बेदखल न करने हेतु पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थीया संख्या 2 शमीम बानो एक वृद्ध महिला है जो वर्तमान में मकान के फर्स्ट फलोर पर निवास कर रही है और उसके घुटने भी खराब है जो आने जाने सीढियां चढने, इत्यादि में असमर्थ है एवं काफी परेशानी होती है इसलिये प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी संख्या 1 से कई बार निवेदन किया कि वह उनकी कठिनाई को समझते हुये नीचे के पोरशन को खाली कर उनको संभला देवे जिससे वह उसमें निवास करेगें और परेशानी का सामना नहीं कररना होगा परन्तु प्रतिपक्षी ने

दिनांक 10.12.2024 को उनकी बात मानने से इंकार कर दिया इसलिये प्रार्थीगण को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के मकान अल्का प्रेस के पास श्रीपुरा कोटा–राज० की नीचे की ग्राउण्ड फलोर के दो कमरो व रिहायशी भाग से बेदखल करने, कब्जा दिलवाया जावे, प्रार्थीगण के उक्त मकान में शांतिपूर्ण तरीके से निवास करने एवं प्रार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा मारपीट नहीं करने हेतु प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रार्थीगण को दिलाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित कथन स्व अर्जित सम्पत्ति में निवास करना स्वीकार है। लेकिन खरीद सम्पत्ति, खरीद पश्चात ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम फ्लोर पर निर्मित किया गया था जिसमें प्रतिपक्षी का भी पूर्ण सहयोग रहा था। उक्त ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम फ्लोर पुराना पट्टीपोश निर्मित है। प्रतिपक्षी नं० 1 का भी पूर्णरूप से सहयोग रहा है। जिसके लोन व रूपये की राशि से सम्बन्धित दस्तावेज जवाब के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण सं0 1 द्वारा मकान खरीद किया गया था। मकान कच्चा बना हुआ था, प्रार्थीगण सं० 1 द्वारा जिसमें ग्राउण्ड एवं प्रथम तल के निर्माण में प्रतिपक्षी सं० 1 का भी सहयोग रहा है तथा उससे भी राशि प्राप्त कर बनाया गया है। उक्त भाग पटटीपोश निर्मित है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राउण्ड फ्लोर एवं प्रथम फ्लोर तक ही प्रतिपक्षी सं० 1 की राशि के सहयोग से निर्माण करवाया गया था। प्रतिपक्षी सं० 1 के 1 पुत्र व 2 पुत्रियां है जो तीनों ही शादी के लायक है। जब मैने प्रार्थीगण से अनुरोध किया कि मेरे बच्चों की मुझे शादी–ब्याह करना है तो इन्होने मुझसे कहा कि प्रथम तल के उपर मकान बना लो। तत्पश्चात् प्रतिपक्षी सं0 1 के द्वारा दिनांक 06.02.21 को कान्टेक्टर एन एस. आर्किटेक्चर को कॉन्ट्रेक्ट देकर आर सी.सी. द्वारा नये तरीके से निर्माण कराया गया है। इस पर प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा द्वितीय फ्लोर पर लगभग 10 लाख रूपयें खर्च कर आर सी.सी. द्वारा नये डिजाईन से निर्मित कराया है। द्वितीय तल पर निर्माण करवाया है। जिसको भी प्रार्थीगण द्वारा लड़ाई–झगड़ा कर प्रतिपक्षी क्रम 1 को उसमें रहने नहीं दिया जा रहा है। प्रतिपक्षी क्रम 1 के द्वारा निर्मित भाग को प्रार्थीगण ने अपने छोटे पुत्र सलाउद्दीन अन्सारी को दे दिया है। सलाउद्दीन अन्सारी का कोई परिवार नही है। उसकी 2 बार शादी हो चुकी है, और उसका दोनों से ही तलाक हो गया है। प्रतिपक्षी सं० 1 ग्राउण्ड फ्लोर पर अपने तीनों बच्चों सहित निवास कर रहा था। प्रार्थीगण एवं इनके साले अब्दुल रहमान व उसका परिवार द्वारा मेरी गैर – मौजूदगी में दिनांक 01.05.24 को लगभग रात 9 बजे करीब प्रतिपक्षी क्रम 1 के बच्चों से लड़ाई–झगड़ा व बुरी तरह मारपीट की गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 0061 कैथूनीपोल कोटा थाने में दिनांक 01. 05.24 को मेरे पुत्र सैफुईदन अन्सारी द्वारा दर्ज करवाई गई। इस घटना के बाद से ही प्रतिपक्षी सं० 1 व मेरा परिवार यहाँ नहीं निवास कर रहा है। मेरी पत्नि का देहान्त दिनांक 27.08.2020 को हो चुका है। क्योंकि मेरे परिवार को लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोटा

बनाम नजमुद्दीन

मानसिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था जिसके कारण प्रतिपक्षी क्रम 1 की पत्नि डिप्रेशन में आने से उसकी मृत्यु हो गई जिसके जिम्मेदार भी प्रार्थीगण है। प्रतिपक्षी को आश्वस्त किया कि द्वितीय फलोर पर तुम निर्माण करा कर निवास करों इस आश्वासन पर प्रतिपक्षी ने निर्माण कराया परन्तु उक्त द्वितीय फ्लोर को बनते ही धोखा देकर अपने छोटे पुत्र सलाउद्दीन अन्सारी को काबिज करा दिया। जब कि उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त राशि का भुगतान प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा किया गया है। जिसके समस्त दस्तावेजात जवाब के साथ पेश है। प्रतिपक्षी सं० 1 एवं उसका परिवार शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं प्रतिपक्षी सं० 1 ने कभी भी मकान को अपने नाम व बेचने के लिए नहीं कहा, प्रार्थीगण का यह कथन पूर्णरूप से असत्य है। अगर प्रतिपक्षी सं० 1 लालची एवं झगड़ालू होता तो द्वितीय प्लोर पर अपने खर्चे से निमाण कार्य नहीं करता एवं घटना के दिन से ही अपने परिवार के साथ कोई विवाद ना हो इसलिए किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रार्थीगण हमेशा से ही लड़ाई–झगड़ा करने के आदि रहे है। उक्त घटना की पुर्नावृत्ति नहीं हो इस कारण से प्रतिपक्षी सं० 1 व मेरा परिवार किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रार्थीगण ने मेरे निर्मित मकान जो द्वितीय फ्लोर पर निर्मित है। उसमें मुझे रहने नही दिया और उसमें अपने छोटे पुत्र सलाउद्दीन अन्सारी को कब्जा करा करवाने पर आमादा है इस कारण यह झूठा परिवाद पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण व उसके साले का परिवार, बच्चों से मारपीट कर भय का वातावरण तैयार किया गया इस कारण प्रतिपक्षी व उसका परिवार घटना वाली रात से ही किराये के मकान में निवास कर रहा है। प्रतिपक्षी 2 व सलीम, कलीम, जावेद जो कि रिश्तेदार है एवं मोहल्ले वाले लडाई–झगडा होने पर बीच–बचाव व समझाने की नियत से आये थे। इन्होने किसी भी प्रकार की प्रार्थीगण व उसके साले से मारपीट नहीं की है। प्रतिपक्षी के बच्चों द्वारा प्रार्थीगण एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट करना सम्भव नहीं है। प्रार्थीगण का दामाद भी घटना वाले दिन मौजूद था। प्रतिपक्षी सं० 1 ग्राउण्ड फ्लोर में पहले से ही रह रहे थे, वर्तमान में ग्राउण्ड फ्लोर पर निर्मित भाग में प्रतिपक्षी का घरेलू सामान मौजूद है तथा उक्त कमरों पर आज भी प्रतिपक्षी क्रम 1 का कब्जा व अधिकार बनाये रखा है। वह आये दिन अपने सामान की देखरेख करते है जिस पर प्रार्थीगण बिना किसी कारण के झगड़ा फसाद करने पर आमादा हो जाते. प्रार्थना पत्र की मद नं० 7 घटना की प्रथम सचना रिपोर्ट थाना कैथुनीपोल कोटा में प्रतिपक्षी नं० 2 द्वारा तुरन्त दर्ज करवाई गई है। इस कारण से प्रतिपक्षी नं0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0061 है एवं प्रार्थीगण की सं० 0062 है। उक्त दोनों मुकदमें की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में लम्बित है। जिसके समस्त दस्तावेजात जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण द्वारा दर्शाया गया कथन पूर्णतया झुठा व असत्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 घटना वाले दिन के बाद से ही उक्त स्थान पर निवास नही कर रहे है। सिर्फ मकान पर प्रतिपक्षी का घरेलू सामान मौजूद है और ना ही प्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल करवाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है। बल्कि प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षीयों पर अन्य प्रकार से मकान खाली करने का दबाब बनाया

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जा रहा है। सिर्फ प्रतिपक्षीगण को परेशान करने के लिए उक्त परिवाद पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रतिपक्षी नं0 1 व उसका पारिवार घटना वाले दिन से अपने मकान पर कोई विवाद ना हो इसलिये आता जाता रहता है। प्रतिपक्षी को उसके निर्मित द्वितीय पलोर भाग पर अपने परिवार को रहने दिये जाने का आदेश दिया जावे। क्यों कि प्रतिपक्षीगण किसी भी प्रकार का वाद–विवाद, लड़ाई–झगड़ा प्रार्थीगण से नहीं करना चाहता है। प्रतिपक्षीगण द्वारा उनके शांतिपूर्वक जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। प्रार्थीगण का यह कथन कि शांतिपूर्वक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न की जा रही है, पूर्णतया झुठा व असत्य है। प्रतिपक्षी को उसके बनवाये द्वितीय फ्लोर पर निवास करने दिया जावे ताकि ग्राउण्ड फलोर खाली करने के आदेश देते है तो द्वितीय फ्लोर पर मेरा परिवार शिफ्ट हो सकें और अपने खर्चे से बनाये निर्माणाधीन मकान में रहने दें। प्राथिया सं० 2 के घुटने खराब होना अस्वीकार है। वह आने व जाने, सीढिया चढ़ने एवं चलने फिरने में सक्षम है। प्रार्थीगण नं० 2 ईटेलियन शीट का इस्तेमाल करती है। जो कि प्रथम पलोर पर बनी हुई प्रार्थिया को उसमें ही शोच करने में आसानी होती है। जबकि ग्राउण्ड फ्लोर पर यह व्यवस्था नहीं है। दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थीगण से प्रतिपक्षी सं0 1 से कोई बात नहीं हुई है। जब बात ही नहीं हुई तो यह कहना कि बात मानने से इंकार कर दिया गया इस कारण से वाद का कारण उत्पन्न हुआ। पूर्णतय झुठा व असत्य है। बल्कि प्रार्थीगण व उनके साले द्वारा प्रतिपक्षी सं0 1 के बच्चों के साथ मारपीट की गई है। जिसकी प्राथमिकी प्रतिपक्षी नं0 2 द्वारा थाना कैथनीपोल में दर्ज की गई है। किसी भी प्रकार का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से उक्त परिवाद खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण नं0 1 द्वारा मेरी बड़ी पुत्री का विवाह अपने साले के पुत्र के साथ तय कर दिया था इसमें प्रार्थीगण नं० 1 ने शादी में प्रतिपक्षी क्रम 1 काफी खर्चा करवाया था। लेकिन कुछ समय पश्चात् प्रतिपक्षी क्रम 1 की पुत्री का तलाक भी करवा दिया था। तत्पश्चात् मेरी पत्नि का गम में निधन हो गया ऐसी परिस्थिति में इनके साले एवं उसके परिवार का आना और प्रार्थीगण नं० 1 व 2 जो मेरे पुत्र व पुत्री के दादा दादी है। उनको बुलाना शोभा नहीं देता। प्रार्थीगण सं0 1 व 2 अपने दूसरे पुत्र सलाउद्दीन अन्सारी का 2 बार विवाह करा चुके है और दोनों पत्नियों से तलाक कराकर तीसरा विवाह कराना चाहते है। लेकिन लड़की वाले गारंटीवश लड़की एवं सलाउद्दीन के नाम मेरे बनवाये निर्मित मकान को अपने नाम से रजिस्टर्ड कराना चाहते है। जबकि प्रतिपक्षी नं0 1 ने द्वितीय प्लोर के भाग को कॉन्ट्रेक्टर को ठेका देकर निर्मित करवाया है जिसके समस्त दस्तावेजात राशि से सम्बन्धित श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रार्थीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनका पुत्र होने के कारण प्रतिपक्षी नं0 1 को कहा गया कि अपने अनुसार द्वितीय फ्लोर पर निर्माण करले तत्पश्चात प्रतिपक्षी ने अपने अनुसार आधुनिक तरीके से आर.सी.सी. का 10 लाख रूपये खर्च कर निर्माण कराया और निर्माण होते ही अपने छोटे पुत्र को निवास हेतु देने पर आमदा है जिससे प्रतिपक्षी क्रम 1 को काफी आर्थिक शारीरिक व मानसिक संताप पहुचा है जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से आकी नही जा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

सकती है। प्रतिपक्षी की माता जी जो वृद्वावस्था के कारण बीमार रहती है। प्रतिपक्षी की पत्नी द्वारा हमेशा सेवा की गई है एवं प्रतिपक्षी की पत्नी के निधन के बाद मेरा पुत्र व पुत्री भी सेवाऐं कर रही है। प्रतिपक्षी को अपने 1 पुत्र व 2 पुत्रियों का विवाह करना है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी को भी निवास की आवश्यकता है। प्रार्थीगण कहने पर ही प्रतिपक्षी ने प्रथम फ्लोर की खाली छत पर निर्माण करवाया है। प्रार्थीगण द्वारा बदनियती से छोटे भाई सलाउद्दीन की शादी करने हेतु द्वारा निर्मित मकान को सम्भला दिया है। ताकि वह विवाह कर अपनी पत्नि को गारन्टी स्वरूप अपनी पत्नि व अपने नाम से रजिस्टर्ड कर सकें । जिससे प्रतिक्षी को काफी नुकसान होगा तथा उसका परिवार बेघर हो जायेगा। प्रतिपक्षी के तीनों बच्चें शादी लायक है। ऐसी स्थिति में जब कि मेरे पुत्र व पुत्री बिना माँ के अनाथ हो चुके है। प्रतिपक्षी को भी रहने का स्थान चाहिए प्रतिपक्षी ने अपने खर्चे से प्रथम फ्लोर की खाली छत पर निवास के लिए निर्माण करवाया था जोकि प्रार्थीगण द्वारा मेरे छोटे भाई सलाउद्वीन को काबिज करा दिया। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झूठा एवं असत्य होने से खारिज फरमाया जावे तथा कपोल –काल्पनिक कहानी पर बेईमानीपूर्वक पेश किया है, पर 25,000/–रू० की राशि पर सव्यय खारिज करने के आदेश प्रदान करें। साथ ही आदेश पारित करे कि प्रतिपक्षी क्रम 1 व उसके बच्चों को उक्त मकान में साथ रखे तथा उनसे लडाई–झगड़ा नहीं करे ना तो स्वयं करें न ही अपने साथ रह रहे प्रार्थीगण के छोटे पुत्र को करने दे और ना ही अपने किसी एजेन्ट को करने दे।

अप्रार्थीगण 2 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मारपीट एवं घर से निकालने एवं जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। उक्त के संबंध में प्रार्थी की ओर से एफ0आई0आर0 नं0 62/24 की प्रति पेश की है। अप्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रथम सचना रिपोर्ट थाना कैथुनीपोल कोटा में प्रतिपक्षी नं० 2 द्वारा तुरन्त दर्ज करवाई गई है। इस कारण से प्रतिपक्षी नं0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0061 है एवं प्रार्थीगण की सं० 0062 है। जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा मारपीट करने के सबंध में जो कथन किये है वह उचित प्रतीत नही होते है। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे ऐसा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मकान को अपनी स्वर्जित आय से खरीद किया गया था । उक्त मकान खरीद करने के उपरांत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुराने कच्चे मकान को गिराकर इसके स्थान पर पक्का तीन मंजिला मकान बनाया। प्रार्थीगण के उक्त कथन के खण्डन में अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा कथन किया है कि प्रतिपक्षी सं0 1 के द्वारा दिनांक 06.02.21 को कान्टेक्टर एन एस. आर्किटेक्चर को कॉन्ट्रेक्ट देकर आर सी.सी. द्वारा नये तरीके से निर्माण कराया गया है। इस पर प्रतिपक्षी क्रम 1 द्वारा द्वितीय फ्लोर पर लगभग 10 लाख रूपयें खर्च कर आर सी.सी. द्वारा नये डिजाईन से निर्मित कराया है। द्वितीय तल पर निर्माण करवाया है। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में निर्माण कराने का कान्टेक्ट तथा एस0बी0आई0 की पासबुक प्रस्तुत की है। पासबुक से 12,000/– प्रतिमाह लोन की किश्त चुकाया जाना प्रमाणित होता है। अप्रार्थी की ओर से यह भी कथन किया है कि घटना वाले दिन के बाद से ही अप्रार्थी नं0 1 व 2 उक्त स्थान पर निवास नही कर रहे है। प्रार्थी द्वारा उक्त अप्रार्थी नं0 1 के उक्त तथ्यों का किसी भी प्रकार खण्डन नही किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि मकान का एक तल अप्रार्थी द्वारा बनवाया गया है एवं अप्रार्थी उक्त परिसर में निवास नही कर रहे है। उक्त स्थिति में जबकि अप्रार्थी वर्तमान में हस्तगत मकान में निवास नही कर रहे है जिस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुये आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 100 अल्का प्रेस के पास श्रीपुरा कोटा शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा व गाली–गलौच नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा